किराया अनुबन्ध–पत्र

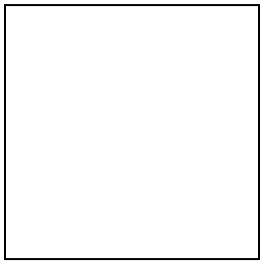

फोटो प्रथम पक्ष (गृह स्वामी)

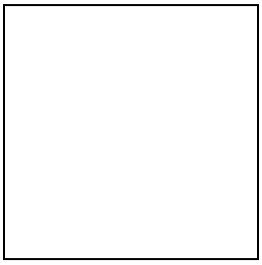

फोटो द्वितीय पक्ष (संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति)
(मुख्य चिकित्सा अधिकारी)

अनुबन्ध संख्या..... दिनांक.....

भवन का विवरणः भवन संख्या....., मोहल्ला....., वार्ड.....क्षेत्र (Land Mark सहित)..... तहसील..... जिला.....

भवन का क्षेत्रफलः..... वर्गफीट/वर्गमीटर

भवन की चौहद्दीः (पूरब.....पश्चिम.....उत्तर.....दक्षिण.....), **कुल कमरेः**.....,शौचालय.....,बाथरूम..... अनाच्छादित स्थान का क्षेत्रफल..... खुला ग्राउण्ड का क्षेत्रफल.....।

प्रथम पक्षः भवन स्वामी/भवन स्वामिनी का नाम..... पूरा पता..... .....तहसील.....जनपद.....

द्वितीय पक्षः जिला स्वास्थ्य समिति/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति..... जिला.....

मासिक किराया..... वार्षिक किराया.....

प्रथम पक्षः भवन स्वामी/भवन स्वामिनी का नाम.....पूरा पता.....
.....तहसील.....
जनपद.....

एवं

द्वितीय पक्षः जिला स्वास्थ्य समिति/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति.....
पता..... तहसील.....
..... जिला.....

हम उभय पक्ष एतद् द्वारा परस्पर वचन देते, विश्वास दिलाते और प्रतिज्ञा करते है कि वह और उनके वारिसन नीचे लिखे प्रतिबन्धों एवं शर्तों का पूर्णतः पालन करेंगे और पालन करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य रहेंगेः–

1. यह कि प्रथम पक्ष मकान संख्या..... तहसील..... जनपद..... राज्य ..... का स्वामी/स्वामिनी है तथा प्रथम पक्ष द्वारा अपने उक्त मकान का प्रथम तल/द्वितीय तल का दिनांक..... से दिनांक..... तक कुल ..... माह के लिए द्वितीय पक्ष को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित करने हेतु किराये पर दिये जाने हेतु सहमत है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भवन के किराये के रूप में रू0..... प्रति वर्ग फीट की दर से रू0..... प्रति माह अदा किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भवन का किराया प्रथम पक्ष के द्वारा भवन किराये का बिल प्रस्तुत किये जाने के प्रत्येक 10 कार्यदिवसों में भुगतान कर देगा। नगद भुगतान किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगा। द्वितीय पक्ष किराया अदा करने के उपरान्त प्रत्येक माह किराये की रसीद प्रथम पक्ष से प्राप्त करेगा। किराये की रसीद प्रथम पक्ष देने हेतु सहमत होगा तथा उसको द्वितीय पक्ष अपने रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखेगा।
4. यह कि भवन में पानी, शौचालय, बाथरूम, विद्युत वायरिंग एवं फिटिंग की व्यवस्था प्रथम पक्ष (भवन स्वामी) द्वारा की जायेगी।
5. यह कि उक्त किराये के भवन में जो भी बिजली का खर्च होगा उसका बिल द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगा। चिकित्सा उपकरण एवं प्रचार–प्रसार सामग्री हेतु बिजली मीटर की लोड क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पड़ने पर नये कनेक्शन द्वितीय पक्ष के नाम होगा इसका सारा व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। इससे प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा बिजली मीटर लेने हेतु प्रथम पक्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र देने हेतु सहमत होगा।
6. यह कि भवन की पुताई, रंगाई, टूट फूट मरम्मत, प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी।
7. यह कि द्वितीय पक्ष किराये वाले भवन के हिस्से का रख–रखाव ठीक प्रकार से करेगा तथा आपसी सहमति से यदि द्वितीय पक्ष भवन में कोई तोड़–फोड़ या निर्माण करता है, तो उसकी रिपेयरिंग की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
8. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा भवन का हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, तथा अन्य निर्धारित टैक्स अदा किये जायेंगे।

9. यह कि प्रथम पक्ष/द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी समय 03 माह का नोटिस देकर भवन खाली कराया/किया जा सकता है।
10. यह कि द्वितीय पक्ष भवन को चिकित्सालय के रूप में साज–सज्जा करने हेतु प्रचार–प्रसार सामग्री का उपयोग कर सकेगा इससे प्रथम पक्ष को कोई भी आपत्ति नहीं होगी।
11. यह कि द्वितीय पक्ष अनुबन्ध पत्र की मूल प्रति रखेगा जिसके आधार पर किराया भुगतान प्रक्रिया की जायेगी।
12. यह कि अनुबन्ध..... माह के लिये है, यदि उभय पक्ष उक्त किरायेदारी को आगे बढ़ाना चाहते है तो दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इसे आगे जारी रखा जा सकता है।
13. यह कि यह नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भारत द्वारा पोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उपमिशन राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत संचालित किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा योजना बन्द करने/भवन हेतु किराये बन्द करने इत्यादि की स्थिति में नोटिस देने उपरांत भवन रिक्त कर दिया जायेगा।
14. उपरोक्त के क्रम में किराये के भवन के सम्बन्ध में सभी प्रकरणों में अन्तिम अधिकार जिला स्वास्थ्य समिति में निहित होगा।
15. यह कि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मध्यस्थ (Arbitrator) जनपद के जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति होगें।
16. यह कि यदि विवाद की स्थिति में (Arbitrator) के निर्णय से कोई पक्ष सहमत नहीं है तो जनपद..... .....न्ययालय में इसका क्षेत्राधिकार होगा।

लिहाजा यह किराया अनुबन्ध पत्र आज दिनॉक को समक्ष गवाहान लिखवा दिया तथा पढ़कर, सुन–समझकर अपने–अपने हस्ताक्षर बनाये ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आयें।

जनपद/शहर

दिनॉकः

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
भवन स्वामी

गवाहानः

1. नाम/पूरा पता/हस्ताक्षर

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष
(संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति)
(मुख्य चिकित्सा अधिकारी)

2. नाम/पूरा पता/हस्ताक्षर